इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 11] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 13 मार्च 2015—फाल्गुन 22, शक 1936

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.
(2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,
(ख)(1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम,
(ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 26 फरवरी 2015

क्र. ई.-5-825-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) डॉ. सुदाम पंढरीनाथ खाड़े, आयएएस., कलेक्टर, जिला सीहोर को दिनांक 7 से 20 मार्च 2015 तक, चौदह दिन का पितृत्व अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 6, 21 एवं 22 मार्च 2015 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) डॉ. सुदाम पंढरीनाथ खाड़े की अवकाश अवधि में डॉ. आर. आर. भोंसले, अपर कलेक्टर एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत सीहोर को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, कलेक्टर, जिला सीहोर का प्रभार सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर डॉ. सुदाम पंढरीनाथ खाड़े को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला सीहोर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) डॉ. सुदाम पंढरीनाथ खाड़े द्वारा कलेक्टर, जिला सीहोर का कार्यभार ग्रहण करने पर डॉ. आर. आर. भोंसले, कलेक्टर, जिला सीहोर के प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में डॉ. सुदाम पंढरीनाथ खाड़े को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2015.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. सुदाम पंढरीनाथ खाड़े अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ॲन्टोनी डिसा, मुख्य सचिव.

गृह विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 20 फरवरी 2015

क्र. एफ 1(ए) 116-2011-ब-2-दो.—श्री जी. जी. पाण्डेय, भापुसे., पुलिस अधीक्षक, शहडोल को पुलिस मुख्यालय, भोपाल के आदेश क्रमांक 478/14, दिनांक 28 अगस्त 2014 द्वारा स्वीकृत दिनांक 19 से 24 मई 2014 तक, कुल छः दिवस अर्जित अवकाश अवधि में खण्ड वर्ष 2010-13 के द्वितीय ब्लाक वर्ष 2012-13 के विस्तार वर्ष में गृह नगर अवकाश यात्रा के बदले में भारत भ्रमण की अवकाश यात्रा के तहत परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ अण्डमान निकोबार जाने की कार्योत्तर अनुमति प्रदान की जाती है:—

1. श्री जी. जी. पाण्डेय — स्वयं
2. श्रीमती साधना पाण्डेय — पत्नी
3. श्री अनुराग पाण्डेय — पुत्र
4. श्री अनुपम पाण्डेय — पुत्र

भोपाल, दिनांक 28 फरवरी 2015

क्र. एफ 1(ए) 266-86-ब-2-दो.—राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 9 फरवरी 2015 द्वारा श्री के. सी. वर्मा, भापुसे., अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, नारकोटिक्स, इन्दौर को दिनांक 6 से 13 फरवरी 2015 तक, आठ दिवस अर्जित अवकाश दिनांक 14, 15 फरवरी 2015 एवं विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत गृह नगर अवकाश यात्रा को निरस्त करते हुए उनके अर्जित अवकाश खाते में समायोजित किया जाता है.

क्र. एफ 1(ए) 74-03-ब-2-दो.—राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 28 जनवरी 2015 द्वारा श्री पी. के. माथुर, भापुसे., पुलिस महानिरीक्षक एस.सी.आर.बी., पुलिस मुख्यालय, भोपाल को दिनांक 27 जनवरी से 2 फरवरी 2015 तक, सात दिवस अर्जित अवकाश, दिनांक 25, 26 जनवरी एवं 3 फरवरी 2015 के विज्ञप्त अवकाश को निरस्त करते हुए उनके अर्जित अवकाश खाते में समायोजित किया जाता है.

भोपाल, दिनांक 4 मार्च 2015

क्र. एफ 1(ए) 10-03-ब-2-दो.—श्री प्रमोद वर्मा, भापुसे., सहायक पुलिस महानिरीक्षक, (प्रशासन) पुलिस मुख्यालय, भोपाल को दिनांक 8 से 30 सितम्बर 2014 तक तेईस दिवस, दिनांक 1 अक्टूबर से 14 नवम्बर 2014 तक, पैंतालीस दिवस, दिनांक 15 नवम्बर से 15 दिसम्बर 2014 तक, इस प्रकार कुल (23+45+31=99) दिवस अर्जित अवकाश की उपभोग पश्चात् कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री प्रमोद वर्मा, भापुसे., को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, सहायक पुलिस महानिरीक्षक (प्रशासन) पुलिस मुख्यालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री प्रमोद वर्मा, भापुसे., उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

क्र. एफ-1(ए) 127-04-ब-2-दो.—श्री डी. एस. कोरबू, भापुसे., उप पुलिस महानिरीक्षक (नारकोटिक्स) पी.टी.आर.आई., पुलिस मुख्यालय, भोपाल को दिनांक 15 से 24 दिसम्बर 2014 तक कुल दस दिवस अर्जित अवकाश के उपभोग पश्चात् कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री डी. एस. कोरबू, भापुसे., को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, उप पुलिस महानिरीक्षक (नारकोटिक्स) पी.टी.आर.आई., पुलिस मुख्यालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री डी. एस. कोरबू, भापुसे., उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

भोपाल, दिनांक 5 मार्च 2015

क्र. एफ 1(ए) 390-88-ब-2-दो.—श्री सुधीर कुमार सक्सेना, भापुसे., अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (प्रशासन) पुलिस मुख्यालय, भोपाल को व्यक्तिगत कार्य से कोटा (राजस्थान) जाने हेतु दिनांक 7 से 12 मार्च 2015 तक, छः दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 6 मार्च 2015 के विज्ञप्त अवकाश के साथ स्वीकृत किया जाता है.

(2) श्री सुधीर कुमार सक्सेना, भापुसे., की अवकाश अवधि में उनका कार्य श्री के. पी. खरे, भापुसे., पुलिस महानिरीक्षक, (कार्मिक) पुलिस मुख्यालय, भोपाल का चालू कार्य दिनांक 6 से 9 मार्च 2015 तक एवं दिनांक 10 से 12 मार्च 2015 तक, श्री आलोक रंजन, भापुसे., पुलिस महानिरीक्षक (प्रशासन) पुलिस मुख्यालय, भोपाल द्वारा वर्तमान कार्य के साथ-साथ संपादित किया जायेगा.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री सुधीर कुमार सक्सेना, भापुसे., को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (प्रशासन) पुलिस मुख्यालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री सुधीर कुमार सक्सेना, भापुसे., द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका 2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री सुधीर कुमार सक्सेना, भापुसे., को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सुधीर कुमार सक्सेना, भापुसे., उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बसंत प्रताप सिंह, प्रमुख सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 25 फरवरी 2015

फा. क्र. 17(ई) 83/03-इक्कीस-ब (एक) -318-2015.—विद्युत् अधिनियम, 2003 (2003 का संख्यांक 36) की धारा 153 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की सहमति से, एतद्द्वारा, इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक 17(ई)83-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 16 सितम्बर 2010 में जो मध्यप्रदेश राजपत्र भाग 1 में दिनांक 24 सितम्बर 2010 में प्रकाशित की गई थी, निम्नलिखित संशोधन करता है:—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, अनुक्रमांक 91 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक और उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्:—

सारणी

क्रमांक	सिविल जिले का नाम	विशेष न्यायालय का नाम	विशेष न्यायालय के न्यायाधीश का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)
"91.	शहडोल	विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जातियां/अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) अधिनियम, शहडोल.	श्री एस. बी. वर्मा, विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जातियां/ अनुसूचित जनजातियॉ (अत्याचार निवारण) अधिनियम, शहडोल.

F. No. 17(E) 83-03-XXI.-B-(one) 318-2015—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 153 of the Electricity Act, 2003 (No. 36 of 2003), the State Government, with the concurrence of the High Court of Madhya Pradesh, hereby makes the following further amendments in this Department's Notification F.No. 17(E) 83-03-XXI-B(1), dated 16th September 2010 which was published in the Madhya Pradesh Gazette, Part-1 dated 24th September 2010, namely:—

AMENDMENTS

In the said Notification, in the table, for serial number 91 and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be substituted, namely:—

TABLE

S. No.	Name of the Civil District	Name of Special Court	Name of the Judge of the Special Court
(1)	(2)	(3)	(4)
"91.	Shahdol	Special Judge, Scheduled Castes/ Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, Shahdol.	Shri S. B. Verma, Special Judge, Scheduled Castes/ Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, Shahdol.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विरेन्दर सिंह, प्रमुख सचिव.

नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 27 फरवरी 2015

सूचना

क्र. एफ-3-27-2014-बत्तीस.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 19 की उपधारा (4) के अधीन एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि राज्य सरकार द्वारा शुजालपुर निवेश क्षेत्र के लिए विकास योजना 2031, मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19(1) में अनुमोदित की गई है तथा योजना की प्रति का निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालय समय के दौरान निरीक्षण किया जा सकेगा, अर्थात्:—

1. आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन, मध्यप्रदेश.
2. कलेक्टर, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश.
3. मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका परिषद्, शुजालपुर, मध्यप्रदेश.
4. उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय देवास, मध्यप्रदेश.

2. यह विकास योजना मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19 की उपधारा (5) के प्रावधान अनुसार राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवर्तित होगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आशीष सक्सेना, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 27 फरवरी 2015

क्र. एफ-3-27-2014-बत्तीस.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग की सूचना क्रमांक एफ-3-27-2014-बत्तीस, दिनांक 27 फरवरी 2015 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. के. मुदगल, अवर सचिव.

Bhopal, the 27th February 2015

NOTICE

No. F-3-27-2014-XXXII.—Notice under Section 19(4) of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 is hereby given that the State Government has approved the Development Plan for Shujalpur, 2031 (Planning Area) under sub-section (1) of Section 19 of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No. 23 of 1973), and a copy of the said plan may be inspected at the following offices during office hours, namely:—

1. Commissioner, Ujjain Division, Ujjain, Madhya Pradesh.
2. Collector, District Shajapur, Madhya Pradesh.
3. Chief, Municipal Officer, Municipal Council Shujalpur, Madhya Pradesh.
4. Dy. Director, Town & Country Planning Distt. Office Dewas, Madhya Pradesh.

2. The said development plan shall come into operation with effect from publication of this notice in Madhya Pradesh Gazettee under Section 19 (5) of Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam 1973.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
ASHISH SAXENA, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 5 मार्च 2015

क्र. एफ-3-74-2014-बत्तीस.—राज्य शासन, एतद्द्वारा मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (संशोधन 2012) की धारा 17(क)(1) के अन्तर्गत आगर विकास योजना हेतु निम्नानुसार समिति का गठन किया जाता है. यह समिति मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 17-क(2) सह पठित मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश नियम, 2012 के नियम 12 में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार कार्य करेगी:—

अधिनियम की धारा 17क(1) खण्ड (1)		व्यक्ति का नाम/ पद (2)	संस्था/ पता (3)	समिति में पद (4)
(क)		अध्यक्ष	नगरपालिका, परिषद् आगर	सदस्य
(ख)		अध्यक्ष	जिला पंचायत, आगर/शाजापुर	सदस्य
(ग)		सांसद	लोक सभा क्षेत्र आगर/ शाजापुर	सदस्य
(घ)		विधायक	विधान सभा क्षेत्र—आगर	सदस्य
(ङ)		अध्यक्ष	नगर तथा ग्राम निवेश विकास प्राधिकारी	कोई नहीं
(च)		अध्यक्ष	जनपद पंचायत—आगर	सदस्य
(छ)	1.	सरपंच	ग्राम पंचायत-मालीखेड़ी, जिला आगर	सदस्य
	2.	सरपंच	ग्राम पंचायत, बेटखेड़ा (निपानीया) जिला आगर	सदस्य
	3.	सरपंच	ग्राम पंचायत, पाल (नरवल) जिला आगर	सदस्य
(ज)	1.	प्रतिनिधि	कलेक्टर, जिला आगर	सदस्य
	2.	प्रतिनिधि	काउंसिल ऑफ आर्कीटेक्ट आफ इण्डिया	सदस्य
	3.	प्रतिनिधि	इस्टीट्यूट ऑफ टाउन प्लानर्स इण्डिया	सदस्य
	4.	प्रतिनिधि	इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स इण्डिया	सदस्य
	5.	प्रतिनिधि	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, आगर	सदस्य
	6.	प्रतिनिधि	वन मण्डलाधिकारी, आगर	सदस्य
	7.	प्रतिनिधि	मुख्य नगरपालिका अधिकारी, आगर	सदस्य
(झ)		समिति का संयोजक	संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय उज्जैन, मध्यप्रदेश.	संयोजक

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आशीष सक्सेना, उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सीहोर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सीहोर, दिनांक 21 जनवरी 2015

प्रारंभिक अधिसूचना

प्र.क्र. 12-ए-82-13-14.—चूकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक (1) में कोलार परियोजना की दायीं मुख्य नहर की राला टेल माइनर ग्राम तिलाडिया, तहसील नसरुल्लागंज, जिला सीहोर की नहरों के लिये आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे क्र. वार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है. सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है.

अत: भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्र. 30 सन् 2013) की धारा 11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है :—

अनुसूची (1)

स.क्र.	ग्राम तिलाडिया विवरण	तहसील-नसरुल्लागंज अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टेयर)		
		सिंचित	असिंचित	कुल
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	निजी भूमि राला टेल माइनर	0.162	0	0.162
	योग . .	0.162	0	0.162

अनुसूची (2)

रालाटेल माइनर

स.क्र.	कृषक का नाम व पिता का नाम	खसरा नं.	भूमि का कुल रकबा (हे.में)			अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हे.में.)		
			सिंचित	असिंचित	योग	सिंचित	असिंचित	योग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	भंवर सिंह आ. आधार सिंह राजपूत, सा. देह भूमि स्वामी.	95/2/3	2.225	0	2.225	0.162	0	0.162
		योग	2.225	0	2.225	0.162	0	0.162

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) व कार्यपालन यंत्री, कोलार नहर संभाग नसरुल्लागंज में किया जा सकता है.

(3) कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कलेक्टर (भू-अर्जन) सीहोर की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लगम सृजित नहीं करेगा.

(4) चूंकि सिंचाई परियोजना की नहर निर्माण हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 11 की उपधारा (3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है.

(5) समुचित सरकारी की वेबसाइट **www.sehore.nic.in** पर अपलोड किया गया है.

प्रारंभिक अधिसूचना

प्र.क्र. 07-अ-82-2013-2014.—चूकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक (1) में घोघरा मध्यम परियोजना, तहसील नसरुल्लागंज, जिला सीहोर की नहरों के लिये आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है. सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है.

अत: भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्र. 30 सन् 2013) की धारा 11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है :—

अनुसूची (1)

ग्राम-कुमनताल, तहसील नसरुल्लागंज

स.क्र.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टेयर)		
		सिंचित	असिंचित	कुल
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	निजी भूमि गोपालपुर वितरिका की डोभा उपनहर 1	0.323	0.329	0.652
	योग . .	0.323	0.329	0.652

अनुसूची (2)

गोपालपुर वितरिका की डोभा उपनहर-1

स.क्र.	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम	खसरा क्रमांक	भूमि का कुल रकबा (हे.में)			अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हे.में.)		
			सिंचित	असिंचित	कुल	सिंचित	असिंचित	कुल
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	भगवतसिंह आ. रामनारायण, जाति देशवाली, नि. ग्राम भू-स्वामी.	224, 225 227/3/1	1.692	0.000	1.692	0.105	0.000	0.105
2	माखनसिंह आ. रामनारायण, जाति देशवाली, नि. ग्राम भू-स्वामी.	224,225,227/4	2.428	0.000	2.428	0.218	0.000	0.218
3	मदन आ. पून्या, गुलाबबाई पत्नि मदन, जाति चमार, नि. ग्राम भू-स्वामी.	222/1/1/3	0.000	0.500	0.500	0.000	0.064	0.064
4	कैलाश आ. बाबूलाल कमलाबाई, जाति बलाई, नि. ग्राम भू-स्वामी.	222/1/1/7	0.000	0.500	0.500	0.000	0.169	0.169
5	रामप्रसाद आ. भागीरथ, ताराबाई पत्नि रामप्रसाद, जाति चमार, नि. ग्राम भू-स्वामी.	222/1/1/8	0.000	0.500	0.500	0.000	0.048	0.048
6	सोमा आ. चून्या व नानरानी पत्नि सोमा, जाति चमार, नि. ग्राम भू स्वामी.	222/1/1/4	0.000	0.500	0.500	0.000	0.048	0.048
	योग . .	06	4.120	2.000	6.120	0.323	0.329	0.652

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) व कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग सीहोर के कार्यालय में किया जा सकता है.

(3) कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कलेक्टर (भू-अर्जन) सीहोर की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लगम सृजित नहीं करेगा.

(4) चूंकि सिंचाई परियोजना की नहर निर्माण हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 11 की उपधारा (3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है.

(5) समुचित सरकारी की वेबसाइट **www.sehore.nic.in** पर अपलोड किया गया है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुदाम खाडे, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग
''निर्वाचन भवन''
58, अरेरा हिल्स, भोपाल, मध्यप्रदेश 462 011

आदेश

भोपाल, दिनांक 5 मार्च 2015

क्र. एफ. 67-29-12-तीन-269.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी ''निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश, 1997'' ''मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)'', दिनांक 5 जून 1997 में प्रकाशित हुआ है. उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.

माह जुलाई 2012 में सम्पन्न हुए **नगरपालिका परिषद् सारनी, जिला बैतूल** के आम निर्वाचन में **सुश्री शोभा अनिल जगदेव,** अध्यक्ष पद की अभ्यर्थी थीं. इस नगरपालिका के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 9 जुलाई 2012 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 8 अगस्त 2012 तक, सुश्री शोभा अनिल जगदेव को निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला बैतूल के पास दाखिल करना था, किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी बैतूल के पत्र दिनांक 14 अगस्त 2012 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार **सुश्री शोभा अनिल जगदेव** द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर **सुश्री शोभा अनिल जगदेव** को कारण बताओ नोटिस दिनांक 25 अगस्त 2012 को जारी किया गया. कारण बताओ सूचना पत्र में **सुश्री शोभा अनिल जगदेव** से जवाब (लिखित अभ्यावेदन) कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.

अभ्यर्थी सुश्री शोभा अनिल जगदेव को नोटिस दिनांक 7 सितम्बर 2012 को तामील कराया गया. अतः उनको दिनांक 22 सितम्बर 2012 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था. उप जिला निर्वाचन अधिकारी जिला बैतूल से प्राप्त प्रतिवेदन दिनांक 31 अक्टूबर 2014 में प्रतिवेदित है कि अभ्यर्थी **सुश्री शोभा अनिल जगदेव** द्वारा इस कार्यालय में निर्वाचन व्यय लेखा अथवा कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया.

आयोग द्वारा विचारोपरान्त अभ्यर्थी **सुश्री शोभा अनिल जगदेव** को दिनांक 4 फरवरी 2015 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आयोग कार्यालय में बुलाया गया. अभ्यर्थी **सुश्री शोभा अनिल जगदेव** उक्त दिवस की आयोग कार्यालय में उपस्थित नहीं हुई. व्यक्तिगत सुनवाई की सूचना पत्र की तामीली **सुश्री शोभा अनिल जगदेव** को विहित समयावधि में दिनांक 30 जनवरी 2015 को कराई गई. अतः उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है **सुश्री शोभा अनिल जगदेव** द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया. अतः आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत नहीं करने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.

अतः, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ग के उपबन्धों के अन्तर्गत **सुश्री शोभा अनिल जगदेव** को को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा **नगरपालिक परिषद् सारनी जिला बैतूल** का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिये इस आदेश की तारीख से 05 वर्ष (पांच वर्ष) की कालावधि के लिये निरर्हित (अयोग्य) घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,
हस्ता./-
(जी. पी. श्रीवास्तव)
सचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 9 मार्च 2015

क्र. एफ 1-2-2015-सात-शा. 6.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 13 की उपधारा (2) के प्रतिबंध में निहित उपबंध के अनुसरण में इसके द्वारा यह सूचना दी जाती है कि उपरोक्त धारा की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, नवीन तहसील देवरी, बम्होरी एवं सुल्तानगंज, जिला रायसेन सृजित करने हेतु निम्न अनुसूची के कॉलम (5) में उल्लेखित किये गये अनुसार वर्तमान तहसील उदयपुरा, सिलवानी एवं बेगमगंज, जिला रायसेन की सीमाओं को परिवर्तित करने कॉलम (2) में दर्शाई तहसील को कॉलम (3) में दर्शाये उसके नाम के मुख्यालय से उसकी स्थापना करने तथा उक्त अनुसूची के कालम (6) में उल्लेखित किये अनुसार तहसील की सीमाएं निर्धारित करने का प्रस्ताव करता है.

2. मध्यप्रदेश राजपत्र में इस सूचना के प्रकाशन होने के दिनांक से 60 दिन समाप्त होने पर प्रस्ताव पर विचार किया जावेगा तथा इस संबंध में कोई भी आपत्तियां या सुझाव उक्त कालावधि की समाप्ति के पूर्व प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग को लिखित रूप में प्रेषित किये जा सकेंगे:—

अनुसूची

क्र.	प्रस्तावित तहसील	मुख्यालय	वर्तमान तहसील	परिवर्तन का स्वरूप	सीमाएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	देवरी	देवरी	उदयपुरा	वर्तमान तहसील उदयपुरा के रा.नि.मं. देवरी के प.ह.नं. 39 से 54 तक कुल 16 पटवारी हल्के जिनमें 40 ग्राम होंगे, अपवर्जित होकर नवीन प्रस्तावित तहसील देवरी में सम्मिलित होंगे.	**पूर्व में**—जिला नरसिंहपुर **पश्चिम में**—शेष उदयपुरा तहसील **उत्तर में**—तहसील सिलवानी **दक्षिण में**—जिला नरसिंहपुर
2	शेष तहसील उदयपुरा.	उदयपुरा	उदयपुरा	वर्तमान तहसील उदयपुरा के रा.नि.मं. कोडा जमुनिया के प.ह.नं. 55 से 69 तक कुल 15 पटवारी हल्के जिनमें कुल 40 ग्राम है, शेष रहेंगे.	**पूर्व में**—प्रस्तावित देवरी तहसील **पश्चिम में**—तहसील बरेली **उत्तर में**—तहसील सिलवानी **दक्षिण में**—जिला नरहिंसपुर.
3	बम्होरी	बम्होरी	सिलवानी	वर्तमान तहसील सिलवानी के रा.नि.मं. बम्होरी के प.ह.नं. 1 से 20 तक कुल 20 पटवारी हल्के जिनमें 71 ग्राम होंगे, अपवर्जित होकर नवीन प्रस्तावित तहसील बम्होरी में सम्मिलित होंगे.	**पूर्व में**—शेष सिलवानी तहसील **पश्चिम में**—तहसील सुल्तानपुर **उत्तर में**—तहसील गैरतगंज **दक्षिण में**—तहसील बरेली एवं तहसील उदयपुरा.
4	शेष तहसील सिलवानी.	सिलवानी	सिलवानी	वर्तमान तहसील सिलवानी के प.ह.नं. 21 से 68 तक कुल 48 पटवारी हल्के जिनमें 179 ग्राम हैं. शेष रहेंगे.	**पूर्व में**—जिला सागर **पश्चिम में**—प्रस्तावित बम्होरी तहसील **उत्तर में**—तहसील गैरतगंज एवं तहसील सुल्तानगंज **दक्षिण में**—तहसील उदयपुरा

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5	सुल्तानगंज	सुल्तानगंज	बेगमगंज	वर्तमान तहसील बेगमगंज के रा.नि.मं. तुलसीपार के प.ह.नं. 34 से 37, 39 से 42 रा.नि.मं. सुल्तानगंज के प.ह.नं. 43 से 61 तक कुल 27 पटवारी हल्के जिनमें 105 ग्राम होंगे, अपवर्जित होकर नवीन प्रस्तावित तहसील सुल्तानगंज में सम्मिलित होंगे.	**पूर्व में**—जिला सागर **पश्चिम में**—तहसील बेगमगंज एवं तहसील गैरतगंज. **उत्तर में**—तहसील सागर जिला सागर **दक्षिण में**—तहसील सिलवानी.
6	शेष तहसील बेगमगंज बेगमगंज.	बेगमगंज		वर्तमान तहसील बेगमगंज के प.ह.नं. 1 से 33 तथा 38 कुल 34 पटवारी हल्के जिनमें कुल 128 ग्राम हैं शेष रहेंगे.	**पूर्व में**—प्रस्तावित तहसील सुल्तानगंज **पश्चिम में**—जिला विदिशा **उत्तर में**—तहसील राहतगढ़ जिला सागर **दक्षिण में**—तहसील गैरतगंज.

3. प्रस्तावित परिवर्तन यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से किया जा रहा है कि क्षेत्र का प्रशासन समुचित एवं प्रभावी रूप से किया जा सके.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरूण तिवारी, प्रमुख सचिव.

श्रम विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 26 फरवरी 2015

क्र. 819-66-2015-ए-सोलह.—मध्यप्रदेश औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960 (27 सन् 1960) की धारा 43 की उपधारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा, यह अधिसूचित करता है कि शाजापुर के स्थानीय समाधानकर्ता को संदर्भित सीमेंट मजदूर संघ, मक्सी, जिला शाजापुर एवं रामको इण्डस्ट्रीज लिमिटेड (शीट डिवीजन) मक्सी, जिला शाजापुर के मध्य औद्योगिक विवाद में सम्मिलित और नीचे दी गई अनुसूची में उल्लेखित औद्योगिक विषयों के संबंध में कोई समझौता नहीं हो सका.

''अनुसूची''

औद्योगिक विवाद क्रमांक 1/एम.पी.आई.आर./14

No. 819-66-2015-A-XVI.—In exercise of the powers conferred by sub-section (5) of Section 43 of the Madhya Pradesh Industrial Realations Act, 1960 (27 of 1960), the State Government hereby notify that no settlement was arrived at in the Industrial Dispute between Cement Mazdoor Sangh, Maksi, District Sajapur and Ramko Industries Ltd. (Sheet Division) Maksi, District Shajapur in regard to the Industrial matter included therein and specified in the Sehedule below referred to the conciliator for the local area of Shajapur.

SCHEDULE

Industrial Dispute No. 1/MPIR/14

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. के. वार्ष्णेय, प्रमुख सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, (भू-अर्जन) जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश

क्रमांक भू-अर्जन-2015-2589 उज्जैन, दिनांक 11 मार्च 2015

प्ररूप-घ

(नियम 6 देखिये)

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक 1557/15 दिनांक 11 फरवरी 2015 द्वारा, राज्य सरकार ने परियोजना के लिए गोठड़ा से गोठड़ा ग्राम गोठड़ा, तहसील उज्जैन, जिला उज्जैन से ग्राम गोठड़ा, तहसील उज्जैन, जिला उज्जैन के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाईप लाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है.

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 13 फरवरी, 2015 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है.

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 उपधारा (1) द्वारा, पाईप लाईन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा.

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्र.	उपयोक्ता के अधिकार के लिये भूमि अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
उज्जैन	उज्जैन	गोठड़ा, पटवारी हल्का नंबर 23/35.	194	0.0622
			193	0.1051
			198	0.0751
			191/2	0.0914
			199	0.0155
			165	0.1890
			162/3 163	0.0687
			140	0.1234
			160 161 162/2	0.2242
			158/1 159	0.0486
			144	0.0146
			58/1	0.0274
			59	0.1783
			50	0.0114
			141	0.0112
				योग . . 1.1763

प्ररूप-घ

(नियम 6 देखिये)

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक 1544/15 दिनांक 11 फरवरी 2015 द्वारा, राज्य सरकार ने परियोजना के लिए पिपल्याराघौ से पिपल्याराघौ, ग्राम पिपल्याराघौ, तहसील उज्जैन, जिला उज्जैन से ग्राम पिपल्याराघौ, तहसील उज्जैन, जिला उज्जैन के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाईप लाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है.

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 13 फरवरी, 2015 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है.

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 उपधारा (1) द्वारा, पाईप लाईन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा.

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्र.	उपयोक्ता के अधिकार के लिये भूमि अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
उज्जैन	उज्जैन	पिपल्याराघौ, 21/32.	43/3	0.1000
			51	0.1000
			52/1	0.2230
			52/2	0.1100
			52/3	0.0600
			70	0.0650
			100	0.1800
			103/2	0.0500
			104/1	0.0650
			110	0.0200
			104/2	0.0200
			105/1	0.0550
			105/2	0.0250
			106/1	0.0400
			117	0.0200
			122	0.0500
			123	0.0300
			124	0.0250
			359	0.0300

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			228	0.0600
			358	0.0200
			368	0.0500
			360	0.0050
			362	0.0650
			365	0.0050
			366	0.0400
			367	0.0600
				योग . . 1.5730

प्ररूप-घ

(नियम 6 देखिये)

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक 1545/15 दिनांक 11 फरवरी 2015 द्वारा, राज्य सरकार ने परियोजना के लिए गंगेडी से गंगेडी, ग्राम गंगेडी, तहसील उज्जैन, जिला उज्जैन से ग्राम गंगेडी, तहसील उज्जैन, जिला उज्जैन के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाईप लाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है.

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 13 फरवरी, 2015 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है.

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 उपधारा (1) द्वारा, पाईप लाईन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा.

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्र.	उपयोक्ता के अधिकार के लिये भूमि अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
उज्जैन	उज्जैन	गंगेडी,	122	0.0360
		पटवारी हल्का नंबर	123/2	0.1130
		22/33	123/5	0.0640
			123/9	0.1400
			130	0.0600
			132	0.0280
			134	0.0800
				योग . . 0.5210

प्ररूप-घ

(नियम 6 देखिये)

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक 1556/15 दिनांक 11 फरवरी 2015 द्वारा, राज्य सरकार ने परियोजना के लिए सिकंदरी से सिकंदरी, ग्राम सिकंदरी, तहसील उज्जैन, जिला उज्जैन से ग्राम सिकंदरी, तहसील उज्जैन, जिला उज्जैन के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाईप लाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है.

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 13 फरवरी, 2015 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है.

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 उपधारा (1) द्वारा, पाईप लाईन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा.

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्र.	उपयोक्ता के अधिकार के लिये भूमि अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
उज्जैन	उज्जैन	सिकंदरी, पटवारी हल्का नंबर 23/35	13/1	0.1303
			13/2	0.1371
			14/1	0.1646
			14/2	0.1006
			16/1/1	0.0411
			16/1/2	0.2273
			42/1	0.1554
			44/2	0.0411
			43/1	0.1050
			45/1	0.1875
				योग . . 1.2900

रोहन सक्सेना, सक्षम प्राधिकारी.

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

ग्वालियर, दिनांक 25 फरवरी 2015

प्र. क्र. 11-अ-82-14-15-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ग्वालियर	ग्वालियर	उटीला	12.490	कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग क्रमांक 2 डबरा जिला ग्वालियर.	हरसी उच्चस्तरीय मुख्य नहर की वितरण प्रणाली के निर्माण हेतु.
		योग :	12.490		

भूमि का नक्शा (प्लान) न्यायालय, भू-अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. नरहरि, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सिवनी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सिवनी, दिनांक 27 फरवरी 2015

क्र. 2041-जि. भू. अ.-2014.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा (12) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है चूंकि नहर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब माइनर निर्माण हेतु कुछ आंशिक भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही बांछित है और इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 (1) की उपधारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील/ रा.नि.म.	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी	सिवनी रा.नि.म. सिवनी भाग-1.	चावडी ब.न. 167 प.ह.नं. 128.	2.40	कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तह. चौरई, जिला छिंदवाड़ा (म. प्र.).	पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत सिवनी शाखा नहर के माइनर एवं सब माइनर निर्माण हेतु.

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सिवनी में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 2042-जि. भू. अ.-2014.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा (12) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है चूंकि नहर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है और इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 (1) की उपधारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील/ रा.नि.म.	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी	सिवनी रा.नि.म. सिवनी भाग-2.	नरेला ब.न. 303 प.ह.नं. 100.	7.12	कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तह. चौरई, जिला छिंदवाड़ा (म. प्र.).	पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत सिवनी शाखा नहर के निर्माण हेतु.

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सिवनी में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
भरत यादव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 28 फरवरी 2015

पत्र क्र. 436-प्रशा.-भू-अर्जन-2014-15.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयेग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं. चूंकि बढौरा माइनर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है, तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है, अब केवल छुटे हुये आंशिक रकवे का ही अर्जन किया जा रहा है और इस कारण अधिनियम की धारा 4 के तहत् सामाजिक समाधात निर्धारण की आवश्यकता नहीं है और इस कारण धारा 11(3) के तहत् सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	रामपुर बघेलान.	सैल्हना पैपखार.	0.088	कार्यपालन यंत्री, बाणसागर पुरवा नहर संभाग क्रमांक-2 सतना, (म. प्र.).	बढौरा माइनर नहर निर्माण में छूटे हुये रकबे की भूमि अर्जन हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

पत्र क्र. 438-प्रशा.-भू-अर्जन-2014-15.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यनस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 उपधारा (1) उपबंदों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयेग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं. चूंकि बढौरा माइनर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है, तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है, अब केवल छुटे हुये आंशिक रकवे का ही अर्जन किया जा रहा है और इस कारण अधिनियम की धारा 4 के तहत् सामाजिक समाघात निर्धारण की आवश्यकता नहीं है और इस कारण धारा 11(3) के तहत् सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	रामपुर बघेलान	बढौरा कोठार	0.035	कार्यपालन यंत्री, बाणसागर पुरवा नहर संभाग क्रमांक-2 सतना.	बढौरा माइनर नहर निर्माण में छूटे हुये रकबे की भूमि अर्जन हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. डी. एस. अग्निवंशी, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

भोपाल, दिनांक 28 फरवरी 2015

क्र. 1224-15-प्रकरण क्रमांक-अ-82-14-15-सा-1-सात.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील/ तालुका	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल खसरा नं. अर्जित किया जाने वाले (हेक्टेयर में)			
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			ख. नं.	हे.		
1	हुजूर	गेहूंखेडा	516	0.070	मुख्य अभियंता (प्रोजेक्ट) नगर पालिका निगम यांत्रिकी योजना प्रकोष्ट हर्षवर्धन काम्पलेक्स अवंतीबाई चौराहा टी. टी. नगर, भोपाल.	वाल्मिकी अम्बेडकर आवास योजना में आने वाली निजी भूमि हेतु,
			कुल किता . .	0.070		

टीप:—भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, तहसील हुजूर भोपाल के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
निशांत वरवड़े, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सतना, दिनांक 5 मार्च 2015

भू-अर्जन-प्र.क्र. एफ. . . . .15-पत्र क्र. 43-भू-अर्जन-15.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा लगभग (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	रघुराजनगर	सतना	1.141	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग संभाग सतना.	शासकीय आवास के निर्माण एवं मशीनरी के रख रखाव हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संतोष मिश्र, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बालाघाट, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

(लांजी) बालाघाट, दिनांक 25 फरवरी 2015

क्र. 01-अ-82-वर्ष 2014-2015.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) तक में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनार्वास और पुनर्व्यवस्थापन अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 की उपधारा (2) प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित क्षेत्र (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बालाघाट	लांजी	पौसेरा प. ह. नं. 20	निजी भूमि 0.277	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (सेतु निर्माण) संभाग सिवनी (म. प्र.).	घोटी-पौसेरा-चिलोरा-चौरिया के मार्ग में सोन नदी पर पुल निर्माण एवं पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि का नक्शा एवं प्लान अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी लांजी एवं कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (सेतु निर्माण) संभाग सिवनी के कार्यालय में देखा जा सकता हैं.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. किरण गोपाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सिवनी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सिवनी, दिनांक 16 फरवरी 2015

क्र. 1641-जि.भू.अ.-2015.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित खसरा भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित अर्जित भूमि रकबा का सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 11(1) के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है, उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का विवरण—
(क) जिला—सिवनी
(ख) तहसील—सिवनी
(ग) ग्राम—जाम, प.ह.नं. 05
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.12 हेक्टर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
अशासकीय भूमि	
(1)	(2)
605	0.12
योग . .	0.12

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यक है—नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन) सिवनी जिला सिवनी में किया जा सकता है.

सिवनी, दिनांक 19 फरवरी 2015

क्र. 1770-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि के अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—
(क) जिला—सिवनी
(ख) तहसील—सिवनी
(ग) नगर/ग्राम—ग्राम-सिघोडी, प.ह.नं. 07 ब. नं.-577.
(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल—3.82 हेक्टर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर.

प्रस्तावित खसरा नं.	प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
7/2	0.07
8	0.12
9	0.09
15	0.08
14	0.41
29	0.06
31	0.01
32/1	0.12
97	0.02
96	0.11
95	0.014
106/1	0.14
106/2	0.21
105/2	0.10
103/1	0.05
103/2	0.12
104/1	0.10
104/2	0.32
112	0.36
113	0.02
114	0.10
115	0.09
151	0.98
योग . .	3.82

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है:- **पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बखारी शाखा माइनर एवं वितरक नहर** निर्माण हेतु निजी भूमि अर्जन के संबंध में.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय राजस्व तहसील-सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे के (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील-चौरई, जिला-छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

क्र. 1771-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि के अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—
(क) जिला—सिवनी
(ख) तहसील—सिवनी
(ग) नगर/ग्राम—ग्राम-मुंगवानीकला प.ह.न.-34 ब.नं.-490
(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल—2.13 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर.

प्रस्तावित खसरा नं.	प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
189/1	0.01
189/2	0.15
189/3	0.09
189/4	0.08
234	0.1
200/1	0.08
125/1	0.06
126/4	0.09
127/2	0.06
127/1	0.08
127/3	0.06
128	0.09
129	0.09
131	0.29
161/1	0.04
161/2	0.2
178/2	0.25
178/3	0.03
187/1	0.03
187/2	0.03
187/3	0.03
188/1	0.19
योग . .	2.13

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.—**पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बखारी शाखा माइनर एवं वितरक नहर** निर्माण हेतु निजी भूमि अर्जन के संबंध में.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय राजस्व तहसील-सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे के (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील-चौरई, जिला-छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

क्र. 1772-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि के अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—
(क) जिला—सिवनी
(ख) तहसील—सिवनी
(ग) नगर/ग्राम—ग्राम-सिमरिया प.ह.न.-18 ब.नं.-485
(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल—2.81 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर.

प्रस्तावित खसरा नं.	प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
14	0.04
120	0.17
121/1	0.19
121/2	0.06
123	0.09
191/6	0.18
191/5	0.16
195	0.10
228	0.06
15	0.11
13	0.12
12/2	0.14
17/2	0.07
17/1	0.05
17/4	0.29
11/1	0.02
10	0.30
9/1	0.13
9/2	0.09
7/6,7/2	0.12
19/1	0.01
19/2, 19/3	0.11

(1)	(2)
20	0.19
21/1	0.01
कुल योग . .	2.81

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है:- **पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बखारी शाखा माइनर एवं वितरक नहर** निर्माण हेतु निजी भूमि अर्जन के संबंध में.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय राजस्व तहसील-सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे के (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील-चौरई, जिला-छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

क्र. 1773-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि के अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सिवनी
(ख) तहसील—सिवनी
(ग) नगर/ग्राम—ग्राम-पिपरिया प.ह.न.-08 ब.नं.-337
(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल—4.34 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर.

प्रस्तावित खसरा नं.	प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
327	0.39
326	0.14
316	0.06
317	0.14
318/1	0.06
318/2	0.08
319/1	0.03
86	0.22
90	0.09
91	0.1
97	0.32
311	0.12
309	0.42
308	0.19
306	0.12
158/1	0.06
159/1	0.1
159/2	0.03
156	0.12
161	0.02
19/2	0.04
23/1	0.05
23/4	0.05
22	0.1
21	0.25
19/1	0.14
18	0.2
17	0.16
14/3	0.03
14/2	0.18
8/1	0.15
9	0.04
10	0.14
कुल योग . .	4.34

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है:- **पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बखारी शाखा माइनर एवं वितरक नहर** निर्माण हेतु निजी भूमि अर्जन के संबंध में.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय राजस्व तहसील-सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे के (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील-चौरई, जिला-छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

क्र. 1774-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि के अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सिवनी

(ख) तहसील—सिवनी

(ग) नगर/ग्राम—ग्राम-जैतपुरखुर्द, प.ह.न.-17 ब.नं.-217

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल—2.88 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर.

प्रस्तावित खसरा नं.	प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
168	0.02
162	0.02
160	0.02
159/3	0.13
176	0.26
175	0.18
169	0.31
263/3	0.06
261	0.1
260	0.1
259/1	0.05
259/2	0.04
294	0.12
299	0.24
301	0.18
313/2	0.18
312/1	0.15
349	0.17
336	0.23
331/1	0.17
331/2	0.09
338	0.02
330/1	0.04
कुल योग . .	2.88

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है:- **पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बखारी शाखा माइनर एवं वितरक नहर** निर्माण हेतु निजी भूमि अर्जन के संबंध में.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय राजस्व तहसील-सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे के (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील-चौरई, जिला-छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

क्र. 1775-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि के अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सिवनी

(ख) तहसील—सिवनी

(ग) नगर/ग्राम—ग्राम-मुंगवानीखुर्द, प.ह.न.-06 ब.नं.-491

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल—6.49 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर.

प्रस्तावित खसरा नं.	प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
155/1	0.25
117/2	0.12
118/1	0.09
118/2	0.07
119	0.11
120	0.11
121/2	0.25
127/2	0.02
132/2	0.15
132/3	0.12
161/2	0.03
328/2	0.18
329/1	0.05

(1)	(2)
330	0.03
312/1	0.09
310	0.15
333	0.08
334	0.07
335/8	0.12
335/6	0.05
335/2	0.06
336	0.05
305/2	0.26
305/1	0.05
304/1	0.11
303	0.14
268	0.08
267/1	0.09
267/2	0.09
266	0.24
271	0.13
251	0.09
250	0.11
248	0.38
246	0.09
247	0.17
1	0.06
3	0.15
12/2	0.09
12/1	0.19
14	0.19
16/1	0.08
16/5	0.1
16/3	0.1
17/1	0.18
17/3	0.11
17/2	0.01
336	0.06
339	0.11
340	0.12
280	0.07
369	0.05
379	0.14
380	0.12
16/2	0.05
16/4	0.1
149	0.13
कुल योग . .	6.49

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है:- **पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बखारी शाखा माइनर एवं वितरक नहर** निर्माण हेतु निजी भूमि अर्जन के संबंध में.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय राजस्व तहसील-सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे के (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील-चौरई, जिला-छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

क्र. 1776-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि के अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सिवनी

(ख) तहसील—सिवनी

(ग) नगर/ग्राम—ग्राम-हथनापुर, प.ह.न.-07 ब.नं.-597

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल—7.62 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर.

प्रस्तावित खसरा नं.	प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
903	0.06
902	0.08
687	0.1
685	0.02
633	0.04
632	0.14
631	0.07
630	0.05
581/5	0.12
584	0.11
586	0.05
585	0.1

(1)	(2)
587	0.17
588	0.13
625	0.12
626	0.01
664	0.05
665	0.2
938	0.07
939	0.04
941	0.17
942	0.2
943	0.13
944	0.05
946/1	0.12
947/4	0.09
948	0.19
950/2	0.12
960/1	0.08
959/1	0.2
967/1	0.07
967/5	0.06
940	0.1
934/1	0.13
934/3	0.06
934/5	0.12
673/2	0.12
674/6	0.12
674/2	0.1
675/1	0.02
690	0.06
689	0.1
703	0.12
708/1	0.07
709	0.1
710/2	0.07
904	0.07
905	0.12
907	0.21
837	0.58
838	0.03
828/2	0.2
819/2	0.05
833/2	0.22
744/2	0.02
736	0.14
862/1	0.1
862/2	0.08
863/1	0.02
863/2	0.03
863/3	0.03
864	0.16
865	0.16
867/3	0.12
869/8	0.04
869/6	0.11
869/7	0.07
858	0.02
859	0.08
1010	0.08
1013	0.18
1018	0.06
116	0.02
128/1	0.12
कुल योग . .	7.62

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है:- **पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बखारी शाखा माइनर एवं वितरक नहर** निर्माण हेतु निजी भूमि अर्जन के संबंध में.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय राजस्व तहसील-सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे के (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील-चौरई, जिला-छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

क्र. 1777-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि के अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि

प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सिवनी

(ख) तहसील—सिवनी

(ग) नगर/ग्राम—ग्राम-कन्हरगांव, प.ह.न.-05 ब.नं.-46

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल—0.73 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर.

प्रस्तावित खसरा नं.	प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
593	0.18
594	0.08
595/2	0.05
596/1	0.05
596/2	0.1
597	0.04
600	0.23
कुल योग . .	0.73

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है:- **पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बखारी शाखा माइनर एवं वितरक नहर** निर्माण हेतु निजी भूमि अर्जन के संबंध में.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय राजस्व तहसील-सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे के (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील-चौरई, जिला-छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

क्र. 1778-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि के अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सिवनी

(ख) तहसील—सिवनी

(ग) नगर/ग्राम—ग्राम-सापापार, प.ह.न.-06 ब.नं.-551

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल—3.44 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर.

प्रस्तावित खसरा नं.	प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
121/7	0.02
121/1	0.19
120	0.11
119/2	0.11
117/1	0.10
117/2	0.03
9/4	0.15
24	0.24
25	0.03
26/2	0.40
29	0.02
30	0.34
76/2	0.03
114/2	0.15
112	0.16
105	0.03
106	0.46
99	0.19
216/3	0.08
216/2	0.07
217	0.01
219	0.14
213/1	0.06
30	0.05
31/1	0.12
32	0.08
कुल योग . .	3.44

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है:- **पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बखारी शाखा माइनर एवं वितरक नहर** निर्माण हेतु निजी भूमि अर्जन के संबंध में.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय राजस्व तहसील-सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे के (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील-चौरई, जिला-छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

क्र. 1779-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि के अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सिवनी
(ख) तहसील—सिवनी
(ग) नगर/ग्राम—ग्राम-बाधी, प.ह.न.-11 ब.नं.-445
(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल—3.76 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर.

प्रस्तावित खसरा नं.	प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
207	0.04
208/1	0.05
205/1	0.07
204	0.03
202/2	0.06
201	0.07
200	0.06
212	0.45
198	0.2
195	0.01
194/2	0.2
197	0.07
182	0.22
186	0.1
187	0.18
169/2	0.08
162	0.03
302	0.19
164	0.03
308/1	0.07
308/2	0.11
309	0.13
312	0.46
320	0.03
25/1	0.12
23	0.13
20	0.03
19	0.06
137	0.11
141	0.26
143	0.06
355/2	0.02
282/2	0.03
कुल योग . .	3.76

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है:- **पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बखारी शाखा माइनर एवं वितरक नहर** निर्माण हेतु निजी भूमि अर्जन के संबंध में.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय राजस्व तहसील-सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे के (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील-चौरई, जिला-छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

क्र. 1780-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि के अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सिवनी
(ख) तहसील—सिवनी

(ग) नगर/ग्राम—ग्राम-गाडरवारा, प.ह.न.-20 ब.नं.-128

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल—1.57 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर.

प्रस्तावित खसरा नं.	प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
114/3	0.02
114/1	0.02
113	0.05
114/2	0.01
115	0.13
122	0.13
154/1	0.18
153/1	0.1
153/2	0.13
162/1	0.11
142/1	0.08
149	0.14
140	0.24
173	0.11
174	0.04
136/1	0.08
कुल योग . .	1.57

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है:- **पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बखारी शाखा माइनर एवं वितरक नहर** निर्माण हेतु निजी भूमि अर्जन के संबंध में.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय राजस्व तहसील-सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे के (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील-चौरई, जिला-छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
भरत यादव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

खण्डवा, दिनांक 19 फरवरी 2015

नस्ती क्र. 29-2014-एलए.भू-अर्जन-प्रकरण क्रमांक-01-अ-82-13-14.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—खण्डवा

(ख) तहसील—पुनासा

(ग) ग्राम—दैत

(घ) अर्जित रकबा—0.10 हेक्टेयर.

खसरा क्रमांक	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
33/2	0.10
कुल योग . .	0.10

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.—**पुनासा उद्वहन सिंचाई योजना के अन्तर्गत वितरण पाईप-लाईन के निर्माण कार्य हेतु.**

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी पुनासा तथा कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 25, नर्मदानगर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. के. अग्रवाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 04 मार्च 2015

प. क्र. 454-प्रका.-भू-अर्जन-2014-15.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा

(ख) तहसील—गुढ

(ग) ग्राम—लोही 574

(घ) लगभग क्षेत्रफल —2.873 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
अ—निजी पट्टे की भूमि	
256	0.200
257	0.015
253/1, 253/2	0.202
254/1, 254/2	0.020
255	0.101
251	0.050
252	0.053
258	0.040
250/1/क, 250/1/ख 250/2	0.250
259	0.200
543	0.232
542/1 542/2 542/3	0.216
541	0.111
525	0.093
526	0.001
527	0.093
529	0.050
530	0.013
531	0.016
532	0.041
533/1, 533/2	0.003
506/1, 506/2	0.023
505/1, 505/2	0.125
430	0.049
420	0.043
429	0.170
426	0.038
424/1, 424/2	0.064
425/1, 425/2	0.018
423/1, 423/2	0.077
422	0.099
421/1/क 421/1/ख 421/1/ग 421/1/घ 421/2 421/3 421/4	0.167
अ—निजी पट्टे की भूमि का योग	2.873
ब—म. प्र. शासन की भूमि	
म. प्र. शासन की भूमि का योग	0.000
अ+ब का योग	2.873

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के जिसके लिये आवश्यकता है—"बहुती मुख्य नहर के अन्तर्गत रतहरा वितरक" में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

प. क्र. 456-प्रका.-भू-अर्जन-2014-15.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा

(ख) तहसील—गुढ

(ग) ग्राम—बड़ागॉव 411

(घ) लगभग क्षेत्रफल —6.697 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
अ—निजी पट्टे की भूमि	
477/1, 477/2	0.016
478	0.088
480	0.022
479	0.022
476/1, 476/2	0.034
497/1, 497/2	0.001
496/1, 496/2	0.005
495/1, 495/2	0.057
494/1 494/2 494/3 494/4	0.038
493	0.240
492/1, 492/2 492/3, 492/4, 492/5, 492/6	0.372
491/1, 491/2, 491/3, 491/4	0.049
706/1, 706/2, 706/3, 706/4, 706/5	0.006
705	0.189
703	0.025
702/1, 702/2	0.115
701	0.009
717	0.010
718	0.082
720/1, 720/2	0.003
699	0.007
719/1, 719/2	0.233
697	0.032
683/1, 683/2, 683/3, 683/4, 683/5	0.060
696/1, 696/2	0.165
691	0.029
684	0.019
690	0.085
688	0.008
687/1, 687/2, 687/3, 687/4	0.020
686/1, 686/2, 686/3, 686/4	0.144
826	0.006
825/1, 825/2	0.058
828	0.052
827	0.032
832/1, 832/2	0.051
1077	0.168
1076	0.097
1075/1, 1075/2, 1075/3	0.118
1108	0.056
1109/1, 1109/2	0.196
1110	0.007
1074	0.074
1073	0.182
1113	0.040
1114	0.162
1115/1, 1115/2, 1115/3, 1115/4	0.033
1118/1, 1118/2	0.166
1119/1, 1119/2	0.081
1120	0.065
1127/1, 1127/2, 1127/3, 1127/4, 1127/5	0.376
1129/1, 1129/2, 1129/3	0.452
1140	0.450
1141/1, 1141/2	0.033
1143/1, 1143/2	0.346
1144	0.283
985/1, 985/2	0.319
984/1, 984/2, 984/3, 984/4	0.367
983/1, 983/2, 983/3, 983/4	0.033
1015	0.011
474/1, 474/2	0.033
694/1/1, 694/1/2, 694/1/3, 694/2	0.002
अ—निजी पट्टे की भूमि का योग-	6.534
ब—म. प्र. शासन की भूमि	
411	0.077
767	0.086
म. प्र. शासन की भूमि का योग .	.0.163
अ+ब का योग . .	6.697

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के जिसके लिये आवश्यकता है—"बहुती मुख्य नहर के अन्तर्गत रतहरा वितरक" आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

प. क्र. 458-प्रका.-भू-अर्जन-2014-15.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा

(ख) तहसील—गुढ

(ग) ग्राम—चौड़ियार 192

(घ) लगभग क्षेत्रफल —3.822 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
अ—निजी पट्टे की भूमि	
526/1, 526/2	0.125
527	0.002
528/1, 528/2, 528/3	0.523
538	0.001
614	0.093
613	0.107
612	0.081
611	0.030
610	0.035
609	0.078
608	0.040
603	0.100
604/1, 604/2	0.038
602	0.024
572/1, 572/2	0.011
573	0.179
271	0.059
273	0.098
275/1, 275/2	0.031
276/1, 276/2, 276/3/1, 276/3/2, 276/4	0.233
363	0.084
278	0.045
279	0.028
280	0.020
281	0.020
282	0.009
895/279	0.014
286	0.065
285	0.013
287	0.058
358	0.026
359	0.024
357	0.062
288	0.008
299/1, 299/2, 299/3	0.005
356	0.015
355	0.160
353	0.007
354	0.036
373	0.060
374	0.073
375	0.049
376	0.061
384	0.080
385	0.090
386/1, 386/2	0.146
395	0.001
394	0.045
393	0.061
392	0.033
407	0.116
401	0.029
403/1, 403/2	0.056
402	0.060
416/1, 416/1/क, 416/1/ख 416/2	0.121
417/1, 417/2	0.001
404/1, 404/2	0.116
अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . .	3.785
ब. म. प्र. शासन की भूमि	
615	0.019
465	0.018
म. प्र. शासन की भूमि का योग . .	0.037
अ+ब का योग . .	3.822

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के जिसके लिये आवश्यकता है—''बहुती मुख्य नहर के अन्तर्गत रतहरा वितरक'' में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

प. क्र. 460-प्रका.-भू-अर्जन-2014-15.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा

(ख) तहसील—गुढ

(ग) ग्राम—रीठी 554

(घ) लगभग क्षेत्रफल —5.505 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
अ—निजी पट्टे की भूमि	
473	0.067
474	0.153
475	0.018
476	0.191
477	0.016
482	0.014
484	0.024
483	0.061
493/1, 493/2	0.044
492	0.135
505	0.073
507	0.019
508	0.055
509	0.074
510	0.063
512	0.041
538	0.062
513	0.060
541	0.028
540	0.121
550	0.006
551	0.101
552	0.010
549	0.032
553	0.047
548	0.003
554	0.023
555	0.013
546	0.022
610	0.109
603	0.097
601/1, 601/2, 601/3	0.055
600/1, 600/2, 600/3, 600/4	0.037
595	0.007
599/1, 599/2, 599/3	0.229
597/1, 597/2, 597/3, 597/4	0.022
584	0.050
267/1/1, 267/1/2, 267/1/क, 267/2, 267/3, 267/4, 267/5, 267/6/क, 267/6/ख, 267/7	0.170
266	0.001
292/1, 292/2	0.028
291	0.001
287/1, 287/2, 287/3, 287/4, 287/5, 287/6, 287/7, 287/8, 287/9, 287/10	0.015
288	0.195
286/1, 286/2, 286/3	0.002

(1)	(2)
67/1, 67/2	0.215
63/1, 63/2	0.045
66	0.161
65/1, 65/2, 65/3, 65/4, 65/5	0.301
70	0.025
71	0.132
50	0.167
48/1, 48/2	0.299
72	0.175
85	0.116
87	0.006
84	0.045
88/1, 88/2	0.051
86	0.139
89	0.182
90	0.008
91	0.261
92	0.003
289/1, 289/2, 289/3, 289/4	0.001
486	0.018
491	0.004
547	0.307
अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . .	5.255
ब. म. प्र. शासन की भूमि	
530	0.193
596	0.011
583	0.046
म. प्र. शासन की भूमि का योग . .	0.250
अ+ब का योग . .	5.505

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के जिसके लिये आवश्यकता है—"बहुती मुख्य नहर के अन्तर्गत रतहरा वितरक" आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

प. क्र. 462-प्रका.-भू-अर्जन-2014-15.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा

(ख) तहसील—गुढ

(ग) ग्राम—दादर 264

(घ) लगभग क्षेत्रफल —2.744 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
अ—निजी पट्टे की भूमि	
739	0.063
737	0.026
764/1, 764/2	0.078
765	0.102
769	0.125
768	0.057
770	0.147
772/1, 772/2	0.031
773	0.144
775	0.006
774	0.077
786	0.063
778	0.138
678/1, 678/2	0.030
695	0.139
694/1, 694/2	0.012
693/1, 693/2	0.278
692/1, 692/2	0.021
547/1, 547/2	0.030
555	0.030
580/1, 580/2	0.157
579/1, 579/2	0.013
577	0.022
578	0.251
576	0.198
575	0.021
574	0.167
573	0.013
569	0.108
571	0.169
572	0.022

(1)	(2)
598/1/क, 598/2/ख, 598/2	0.003
548	0.001
738	0.001
597/1/क, 591/1/ख, 597/2, 597/3, 597/4	0.001
अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . .	2.744
ब. म. प्र. शासन की भूमि का योग .	.0.000
अ+ब का योग . .	2.744

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—"बहुती मुख्य नहर के अन्तर्गत रतहरा वितरक" में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 464-प्रका.-भू-अर्जन-2014-15.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा

(ख) तहसील—गुढ

(ग) ग्राम—चंदिहर 176

(घ) लगभग क्षेत्रफल —2.885 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
अ—निजी पट्टे की भूमि	
103	0.215
105	0.166
104	0.005
106	0.333
210	0.017
125	0.010
124	0.004
121	0.123
122	0.001
120	0.066
123	0.021
119	0.040
126	0.024
127	0.145
128	0.186
130/1, 130/2	0.833
150	0.429
149	0.015
160	0.079
162	0.009
161	0.133
164	0.016
अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . .	2.870
ब. म. प्र. शासन की भूमि	
20	0.015
ब. म. प्र. शासन की भूमि का योग .	.0.015
अ+ब का योग . .	2.885

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—"बहुती मुख्य नहर के अन्तर्गत रतहरा वितरक" में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 466-प्रका.-भू-अर्जन-2014-15.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा

(ख) तहसील—गुढ

(ग) ग्राम—हटवा 629

(घ) लगभग क्षेत्रफल —1.410 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
अ—निजी पट्टे की भूमि	
112	0.076
110	0.059
109	0.163
108	0.061
107	0.167
14/1, 14/2, 14/3, 14/4, 14/5, 14/6, 14/7, 14/8, 14/9	0.164
15/1, 15/2	0.033
13	0.005
12	0.007
16	0.028
11	0.122
10	0.011
9	0.046
6	0.045
8	0.001
5	0.195
4	0.031
20/1, 20/2, 20/3, 20/4, 20/5	0.019
3	0.043
2/1, 2/2	0.059
21/1, 21/2, 21/3	0.073
22/1, 22/2, 22/3	0.002
अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . .	1.410
ब. म. प्र. शासन की भूमि	
म. प्र. शासन की भूमि का योग .	.0.000
अ+ब का योग . .	1.410

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—"बहुती मुख्य नहर के अन्तर्गत रतहरा वितरक" में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 470-प्रका.-भू-अर्जन-2014-15.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा

(ख) तहसील—गुढ

(ग) ग्राम—गेरूआरी 169

(घ) लगभग क्षेत्रफल —0.546 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
अ—निजी पट्टे की भूमि	
1/1, 1/2	0.084
5	0.076
7	0.009
9/1, 9/2	0.040
8	0.142
6	0.084
अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . .	0.435
ब. म. प्र. शासन की भूमि	
56	0.111
म. प्र. शासन की भूमि का योग .	.0.111
अ+ब का योग . .	0.546

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के जिसके लिये आवश्यकता है—"बहुती मुख्य नहर के अन्तर्गत रतहरा वितरक" में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 468-प्रका.-भू-अर्जन-2014-15.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा

(ख) तहसील—गुढ

(ग) ग्राम—पकरा 327

(घ) लगभग क्षेत्रफल —0.191 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
अ—निजी पट्टे की भूमि	
1/1, 1/2, 1/3	0.099
100	0.002
अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . .	0.101
ब. म. प्र. शासन की भूमि	
44	0.090
म. प्र. शासन की भूमि का योग . .	0.090
अ+ब का योग . .	0.191

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—"बहुती मुख्य नहर के अन्तर्गत रतहरा वितरक" में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 472-प्रका.-भू-अर्जन-2014-15.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा

(ख) तहसील—गुढ

(ग) ग्राम—गेरूई

(घ) लगभग क्षेत्रफल —3.450 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
अ—निजी पट्टे की भूमि	
319	0.049
318	0.103
317/1, 317/2, 317/3	0.214
314/1, 314/2, 314/3, 314/4	0.173
316/1, 316/2	0.028
315	0.149
311/1, 311/2, 311/3, 311/4, 311/5	0.082
309/1, 309/2/क, 309/2/क/1, 309/2/क/2, 309/2/ख	0.059
312/1, 312/2, 312/3, 312/4/क, 312/4/ख 312/4/ग, 312/5	0.047
310/1, 310/2/क/1, 310/2ख, 310/2/ख/2	0.148
291	0.073
292/1, 292/2	0.082
286	0.196
285	0.016
274	0.140
275	0.017
272/1, 272/2, 272/3, 272/4	0.192
245/1, 245/2	0.157
263	0.087
247	0.085
248	0.038
260	0.032
259	0.114
253	0.074
254	0.036
252	0.013
182	0.121
180/1, 180/2	0.002
181	0.098
174	0.106
173	0.015

(1)	(2)
171	0.039
172	0.087
168	0.050
169	0.025
167	0.105
162/1, 162/2, 162/3, 162/4, 162/5	0.155
160	0.037
155/1, 155/2	0.026
154	0.008
153	0.005
152	0.005
151	0.013
147/1, 147/2	0.001
अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . .	3.302
ब. म. प्र. शासन की भूमि	
85	0.050
249	0.033
161	0.065
म. प्र. शासन की भूमि का योग .	.0.148
अ+ब का योग . .	3.450

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—"बहुती मुख्य नहर के अन्तर्गत रतहरा वितरक" में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 474-प्रका.-भू-अर्जन-2014-15.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा

(ख) तहसील—गुढ

(ग) ग्राम—पटना 328

(घ) लगभग क्षेत्रफल —4.568 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
अ—निजी पट्टे की भूमि	
156/1, 156/2, 156/3, 156/4, 156/5, 156/6	0.133
157/1, 157/2	0.100
158/1, 158/2 158/2/क, 158/2/ख	0.007
160/1, 160/2	0.023
159/1, 159/2	0.058
161	0.134
163	0.133
170	0.200
164	0.100
171	0.198
172/1, 172/2, 172/3, 172/4	0.216
175/1	0.004
187/1, 187/2 187/3, 187/4	0.014
176	0.149
177	0.123
186	0.030
180	0.142
179	0.060
216	0.129
215	0.027
214	0.106
213	0.013
211/1, 211/2, 211/3	0.100
210	0.027
209	0.108
208	0.012
205	0.001
207/1/क 207/1/ख 207/1/ग 207/2	0.077
232	0.020
233	0.133
234	0.002

(1)	(2)
236	0.055
235	0.018
243	0.005
239/1, 239/2	0.217
238/1, 238/2	0.013
241/1, 241/2	0.012
249	0.002
250	0.104
251	0.031
266	0.056
265	0.019
267	0.071
263	0.001
268/1, 268/2	0.004
262	0.024
271	0.076
270	0.034
272	0.016
273/1, 273/2	0.121
274	0.109
275	0.032
277/1, 277/2, 277/3	0.067
278	0.034
103	0.029
280/1, 280/2	0.082
281	0.065
282	0.018
51	0.004
288	0.019
287	0.093
289	0.019
290	0.046
291	0.057
292	0.014
293	0.009
294	0.072
295	0.105
296	0.081
297/1, 297/2, 297/3	0.025
155	0.059
237	0.004
299	0.001
298/1, 298/2, 298/3, 298/4	0.001
अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . .	4.503
ब. म. प्र. शासन की भूमि	
455	0.065
म. प्र. शासन की भूमि का योग .	.0.065
अ+ब का योग . .	4.568

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—"बहुती मुख्य नहर के अन्तर्गत रतहरा वितरक" में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

प. क्र. 476-प्रका.-भू-अर्जन-2014-15.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—गुढ
(ग) ग्राम—सिगटी 590
(घ) लगभग क्षेत्रफल —0.768 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
अ—निजी पट्टे की भूमि	
118/1, 118/2	0.411
114/1, 114/2	0.021

(1)	(2)
115/1, 115/2	0.001
113	0.013
107/1, 107/2, 107/3	0.028
112	0.035
108/1, 108/2	0.076
97	0.020
99/1, 99/2, 99/3	0.125
100	0.020
63	0.012
64	0.003
62	0.003
अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . .	0.768
ब. म. प्र. शासन की भूमि	
म. प्र. शासन की भूमि का योग .	.0.000
अ+ब का योग . .	0.768

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—"बहुती मुख्य नहर के अन्तर्गत रतहरा वितरक" में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

प. क्र. 478-प्रका.-भू-अर्जन-2014-15.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा

(ख) तहसील—गुढ

(ग) ग्राम—गोरगी 163

(घ) लगभग क्षेत्रफल —5.726 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
अ—निजी पट्टे की भूमि	
1382	0.159
1383	0.022
1385	0.343
1384	0.044
1335	0.091
1336	0.028
1337	0.061
1377/1, 1377/2	0.012
1338/1, 1338/2, 1338/3	0.008
1334	0.236
1333	0.018
1332	0.275
1331	0.013
1340	0.010
1330	0.032
1329	0.005
1328	0.176
1327/1, 1327/2	0.097
1268	0.087
1270	0.027
921	0.276
922	0.023
923	0.126
924	0.030
925/1, 925/2, 925/3	0.215
926	0.041
930/1, 930/2	0.023
928/1 928/2 928/3 928/4 928/5 928/6 928/7 928/8	0.353
927/1, 927/2 927/3, 927/4	0.013
929/1, 929/2, 929/3	0.243
942	0.030
943	0.118
947	0.034
948	0.026
952	0.006
949/1, 949/2	0.159
995	0.036
994	0.156

(1)	(2)
992	0.165
993/1/1, 993/1/2 993/2, 993/3, 993/4	0.078
990	0.173
989/1, 989/2	0.111
988/1, 988/2	0.159
1011/1/1, 1011/1/2, 1011/1/3, 1011/1/4 1011/2	0.574
1010/1/1, 1010/1/2, 1010/2	0.004
1014/1, 1014/2, 1014/3	0.248
1339	0.015
1275/1, 1275/2	0.501
1269	0.030
933/1, 933/2, 933/3, 933/4, 933/5,	0.002
950/1, 950/2	0.009
951	0.005
अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . .	5.726
ब. म. प्र. शासन की भूमि	
म. प्र. शासन की भूमि का योग .	.0.000
अ+ब का योग . .	5.726

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—"बहुती मुख्य नहर के अन्तर्गत रतहरा वितरक" में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

प. क्र. 480-प्रका.-भू-अर्जन-2014-15.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा

(ख) तहसील—गुढ

(ग) ग्राम—महसांव 501

(घ) लगभग क्षेत्रफल —9.469 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
अ—निजी पट्टे की भूमि	
3054/1/1 3054/1/2 3054/1/3 3054/2	0.343
3057	0.034
3135	0.181
3136/1/1, 3136/1/2, 3136/1/3, 3136/2	0.079
3137/1, 3137/2, 3137/3	0.013
3138/1, 3138/2	0.184
3139/1, 3139/2	0.018
3141/1, 3141/2	0.182
3148	0.020
3149/1, 3149/2	0.125
3147	0.001
3150/1, 3150/2	0.013
3160	0.042
3161	0.045
3162	0.050
3168	0.029
3159	0.001
3167	0.001
3166/1, 3166/2	0.065
3165	0.011
3198	0.024
3199/1, 3199/2	0.079
3196/1, 3196/2	0.050
3197/1, 3197/2	0.090
3207/1/1, 3207/1/2 3207/2/1, 3207/2/2	0.035
3322	0.309
3363	0.049
3362	0.013
3377/1, 3377/2, 3377/3/1, 3377/2	0.050
3376	0.059
3374/1, 3374/2, 3374/3	0.090
3371/1, 3371/2	0.005
3372/1, 3372/2, 3372/3, 3372/4	0.141

(1)	(2)
2484	0.004
2485	0.034
2486	0.047
2487	0.032
2490/1, 2490/2/1 2490/2/2	0.005
2488	0.001
2396/1, 2396/2, 2396/3, 2396/4, 2396/5, 2396	0.104
2404	0.001
2403/1, 2403/2	0.004
2395/1, 2395/2, 2395/3, 2395/4, 2395/5	0.054
2398/1, 2398/2, 2398/3, 2398/4	0.020
2402/1, 2402/2	0.019
2401	0.012
2399	0.028
2514	0.001
2515/1, 2515/2, 2515/3	0.012
2400	0.018
2202/1/1, 2202/1/2, 2202/1/3, 2202/4, 2202/1/5, 2202/2	0.011
2201	0.048
2200	0.027
2137	0.124
2516	0.006
2198	0.010
2197	0.004
2196	0.001
2170	0.018
2171/1, 2171/2	0.012
2172	0.013
2173	0.019
2174	0.012
2175	0.011
2176	0.013
2177	0.019
2166	0.016
2178	0.014
2179	0.011
2180/1/1, 2180/1/2, 2180/2	0.011

(1)	(2)
2165	0.051
2164	0.019
2154	0.002
2155	0.005
2157/1, 2157/2	0.016
2156	0.007
2158/1, 2158/2	0.017
2159	0.019
2160/1, 2160/2	0.019
2161	0.017
2162	0.008
2163/1, 2163/2	0.007
1805	0.036
1688/1, 1688/2, 1688/3 1688/4, 1688/5, 1688/6	0.270
1772/1, 1772/2	0.251
1775	0.015
1765/1, 1765/2, 1765/3	0.411
1764	0.046
1763	0.156
1749	0.193
1750	0.133
1757	0.289
1751	0.137
1752	0.134
1753	0.120
1743	0.477
1740/1, 1740/2	0.254
1742	0.033
1741	0.091
1727/1, 1727/2	0.449
1725	0.017
259/1, 259/2	0.331
257	0.017
241	0.002
244	0.174
228	0.017
229	0.184
230	0.013
226	0.184
217	0.014
191	0.183
194	0.020
192	0.004
193	0.072

(1)	(2)
197	0.091
195	0.198
196	0.004
198	0.002
152	0.001
142	0.246
143/1, 143/2	0.042
140	0.113
139	0.122
136	0.177
3168	0.029
2168/1, 2168/2	0.010
2169/1, 2169/2	0.008
2181	0.001
3053/1/1/क, 3053/1/1/ख, 3053/1/1/ग, 3053/1/1/घ, 3053/1/1/ड, 3053/1/1/च, 3053/1/2, 3053/2, 3053/3	0.011
3055/1/1, 3055/1/2	0.024
3169	0.002
1766/1, 1766/2, 1766/3	0.018
137	0.122
135	0.002
अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . .	9.364
ब. म. प्र. शासन की भूमि	
3056	0.039
1684	0.020
1685	0.022
1686	0.023
1748	0.001
म. प्र. शासन की भूमि का योग . .	.0.105
अ+ब का योग . .	9.469

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—''बहुती मुख्य नहर के अन्तर्गत रतहरा वितरक'' में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

प. क्र. 482-प्रका.-भू-अर्जन-2014-15.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा

(ख) तहसील—गुढ

(ग) ग्राम—उमरी 50

(घ) लगभग क्षेत्रफल —0.240 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
अ—निजी पट्टे की भूमि	
129	0.113
127	0.101
अ—निजी पट्टे की भूमि का योग . .	0.214
ब—म. प्र. शासन की भूमि	
128	0.026
म. प्र. शासन की भूमि का योग . .	.0.026
अ+ब का योग . .	0.240

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के जिसके लिये आवश्यकता है—''बहुती मुख्य नहर के अन्तर्गत रतहरा वितरक'' आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

प. क्र. 484-प्रका.-भू-अर्जन-2014-15.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा

(ख) तहसील—गुढ

(ग) ग्राम—सोढा 621

(घ) लगभग क्षेत्रफल —1.936 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
अ—निजी पट्टे की भूमि	
534/1, 534/2, 534/3, 534/4, 534/5, 534/6	0.374
540	0.011
541/1, 541/2	0.332
544/1, 544/2	0.068
545/1, 545/2	0.036
468	0.050
465/1, 465/2	0.096
466	0.048
459	0.060
460	0.096
548	0.015
432	0.026
434	0.004
447	0.150
448	0.015
449	0.025
446	0.170
453	0.100
457	0.150
458	0.016
454	0.002
अ—निजी पट्टे की भूमि का योग.	1.844
ब—म. प्र. शासन की भूमि	
547	0.062
550/1, 550/2	0.030
म. प्र. शासन की भूमि का योग	.0.092
अ+ब का योग	1.936

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के जिसके लिये आवश्यकता है—"बहुती मुख्य नहर के अन्तर्गत रतहरा वितरक" आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

प. क्र. 486-प्रका.-भू-अर्जन-2014-15.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा

(ख) तहसील—गुढ

(ग) ग्राम—पहाऊ 355

(घ) लगभग क्षेत्रफल —1.584 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
अ—निजी पट्टे की भूमि	
156	0.041
75/1, 75/2	0.251
79	0.223
139	0.033
138/1, 138/2, 138/3	0.016
131/1, 131/2	0.246
132/2, 132/2	0.014
133	0.012
135	0.232
134	0.012
109	0.112
102	0.025
103	0.026
104	0.016
101/1, 101/2, 101/3, 101/4	0.034
108	0.001
96/1, 96/2	0.018
95/1, 95/2	0.264
82/1, 82/2, 82/3	0.008
अ—निजी पट्टे की भूमि का योग.	1.584
ब—म. प्र. शासन की भूमि	
म. प्र. शासन की भूमि का योग	.0.000
अ+ब का योग	1.584

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—"बहुती मुख्य नहर के अन्तर्गत रतहरा वितरक" में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

प. क्र. 488-प्रका.-भू-अर्जन-2014-15.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—गुढ
(ग) ग्राम—पुरवा 381
(घ) लगभग क्षेत्रफल —2.025 हेक्टेयर

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
अ—निजी पट्टे की भूमि	
952	0.032
953	0.039
954/1, 954/2	0.103
961	0.137
962	0.056
960/1, 960/2, 960/3, 960/4, 960/5	0.162
959/1, 959/2, 959/3 959/4, 959/5	0.137
969	0.030
939	0.072
938	0.315
981	0.045
915	0.119
911	0.019
916	0.087
917/1, 917/2, 917/3	0.079
912	0.001
918	0.042
913/1, 913/2, 913/3, 913/4, 913/5	0.125
900/1, 900/2, 900/3, 900/4	0.137
898	0.001
901/1, 901/2, 901/3, 901/4, 901/5	0.236
905/1, 905/1/क, 905/2, 905/3, 905/4, 905/6, 905/7, 905/8	0.028
921/1, 921/2	0.001
970	0.001
974	0.004
अ—निजी पट्टे की भूमि का योग.	2.008
ब—म. प्र. शासन की भूमि	
914	0.017
म. प्र. शासन की भूमि का योग .	.0.017
अ-ब का योग . .	2.025

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—"बहुती मुख्य नहर के अन्तर्गत रतहरा वितरक" में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

प. क्र. 490-प्रका.-भू-अर्जन-2014-15.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—गुढ
(ग) ग्राम—बंजारी
(घ) लगभग क्षेत्रफल —5.838 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
अ—निजी पट्टे की भूमि	
709/1, 709/2	0.131
710	0.017
706	0.013
713	0.275
715	0.018
717	0.002
716	0.094
718/1, 718/2, 718/3	0.050
719	0.095
720	0.064
721	0.104
722	0.001
698	0.164
697	0.050
693	0.072
724/1, 724/2	0.226
642	0.027
641	0.079
640	0.117
635	0.009
634	0.058
632	0.093
645	0.086
646	0.001
644	0.084
647	0.063
648	0.162
656	0.207
654	0.026
178	0.070
179/1, 179/2	0.070
579/1, 579/2	0.042
189	0.011
188	0.131
190	0.002
195	0.066
196	0.056
193	0.031
198	0.125
200/1, 200/2, 200/3, 200/4, 200/5	0.199
201/1, 201/2, 201/3	0.001
202	0.028
203	0.003
205	0.032
204	0.034
206	0.008
245	0.123

(1)	(2)
246/1, 246/2, 246/3, 246/4	0.160
247	0.095
487/1, 487/2, 487/3, 487/4, 487/5, 487/6, 487/7, 487/8, 487/9, 487/10	0.031
251	0.009
252	0.019
254	0.001
485/1, 485/2, 485/3, 485/4, 485/5, 485/6, 485/7, 485/8, 485/9, 485/10, 485/11	0.171
255/1, 255/2	0.009
256/1, 256/2	0.023
257	0.106
258	0.005
259	0.033
260	0.058
261	0.101
483	0.183
484/1, 484/2, 484/3, 484/4, 484/5	0.001
482	0.170
280	0.015
479	0.021
435/1, 435/2, 435/3	0.018
436	0.001
437	0.005
438	0.092
439	0.098
440	0.001
441	0.104
412	0.049
442	0.001
443/1, 443/2	0.052
409	0.004
402	0.033
403	0.039
404	0.376
400	0.008
397	0.005
399	0.004
396	0.054
398	0.064
704	0.001
186	0.013
249	0.001
754	0.005
अ—निजी पट्टे की भूमि का योग.	5.659
ब—म. प्र. शासन की भूमि	
714	0.066
725	0.062
408	0.051
म. प्र. शासन की भूमि का योग	.0.179
अ+ब का योग	5.838

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—"बहुती मुख्य नहर के अन्तर्गत रतहरा वितरक" में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

प. क्र. 492-प्रका.-भू-अर्जन-2014-15.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—गुढ
(ग) ग्राम—गहिरी 153
(घ) लगभग क्षेत्रफल —2.508 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
अ—निजी पट्टे की भूमि	
225	0.212
226/1, 226/2	0.036
224	0.222
223/1, 223/2	0.049
222	0.035
217	0.135
219	0.023
218	0.134
215	0.002
212	0.022
213/1, 213/2	0.117
140/1, 140/2	0.005
141	0.042
142	0.121
143	0.006
144	0.019
145	0.063
146/1, 146/2	0.023
147/1, 147/2	0.003
148	0.055
173/1, 173/2	0.009
152	0.028
151	0.025
153	0.005
154	0.015
155	0.077
156	0.047
97	0.020
93	0.182
95	0.007
94	0.015
92/1, 92/2	0.143
91	0.025
85	0.258
90	0.053
83	0.004
84	0.202
81/1, 81/2	0.028
157	0.003
82	0.006
अ—निजी पट्टे की भूमि का योग.	2.476
ब—म. प्र. शासन की भूमि	
186	0.029
237	0.003
म. प्र. शासन की भूमि का योग	.0.032
अ+ब का योग	2.508

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—"बहुती मुख्य नहर के अन्तर्गत रतहरा वितरक" में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. डी. एस. अग्निवंशी, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.